



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-27/2024...../१७७९/

**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन विभाग**  
**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)**  
**नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01**



**प्रेषक,**

संयुक्त सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

**सेवा में,**

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22/07/2025

**विषय:-** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टेकारी, गया के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹4,81,568 /- (रुपये चार लाख इक्यासी हजार पाँच सौ अड़सठ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

**महाशय,**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टेकारी, गया के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गया (ग्रामीण), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹4,81,568 /- (रुपये चार लाख इक्यासी हजार पाँच सौ अड़सठ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

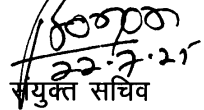
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टेकारी, गया होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-27/2024-08/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसिभाजन,

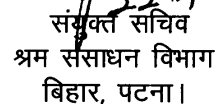
  
22.7.25  
संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-27/2024...../१७७९

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

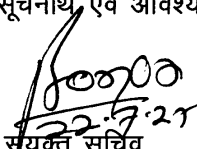
  
22.7.25  
संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

M 6

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-27/2024.....1979

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, गया / जिला पदाधिकारी, गया / जिला कोषागार पदाधिकारी, गया / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गया (ग्रामीण) / प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टेकारी, गया/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-31/2024.../1980/

**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन विभाग**  
**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)**  
**नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01**



**प्रेषक,**

संयुक्त सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

**सेवा में,**

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22/07/2025

**विषय:-** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (LWE) गिद्धौर, जमुई के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹ 6,13,844/- (रुपये छः लाख तेरह हजार आठ सौ चवालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

**महाराज,**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (LWE) गिद्धौर, जमुई के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जमुई, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹ 6,13,844/- (रुपये छः लाख तेरह हजार आठ सौ चवालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (LWE) गिद्धौर, जमुई होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-31/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वरामभाजन,

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-31/2024.../1980

पटना, दिनांक- 22/07/2025

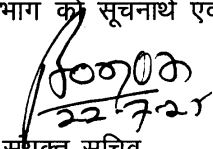
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

NA

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-31/2024.....1980 पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, मुंगेर / जिला पदाधिकारी, जमुई / जिला कोषागार पदाधिकारी, जमुई / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जमुई / प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (LWE) गिद्धौर, जमुई / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / मासिक व्यय विवरणी शाखा / बजट शाखा / योजना शाखा / आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-38/2024.....198/...../

**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन विभाग**  
**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)**  
**नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01**



**प्रेषक,**

संयुक्त सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

**सेवा में,**

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22/07/2025

**विषय:-** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मनिहारी, कटिहार के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹9,38,972/- (रुपये नौ लाख अड़तीस हजार नौ सौ बहत्तर) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

**महाशय,**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मनिहारी, कटिहार के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कटिहार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹9,38,972/- (रुपये नौ लाख अड़तीस हजार नौ सौ बहत्तर) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

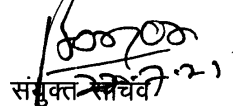
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मनिहारी, कटिहार होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, कटिहार से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-38/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वप्रभाजन,

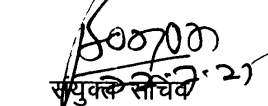
  
संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-38/2024.....198/...../

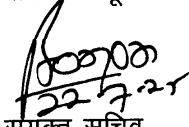
पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

M 8

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-38/2024...../ 98 / पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025  
प्रतिलिपि:-आयुक्त, पूर्णिया/जिला पदाधिकारी, कटिहार /जिला कोषागार पदाधिकारी, कटिहार  
/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कटिहार /प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,  
मनिहारी, कटिहार /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना  
शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-23/2024.....1982/

**बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग**

**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)**

**नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01**



**बिहार सरकार**

**प्रेषक,**

संयुक्त सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

**सेवा में,**

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-.....22/.....07/2025

**विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रक्सौल, (पूर्वी चम्पारण) के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹15,30,843/- (रुपये पन्द्रह लाख तीस हजार आठ सौ तेतालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

**महाराज,**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रक्सौल, (पूर्वी चम्पारण) के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, रक्सौल, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹15,30,843/- (रुपये पन्द्रह लाख तीस हजार आठ सौ तेतालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

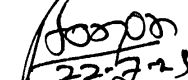
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रक्सौल, (पूर्वी चम्पारण) होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, रक्सौल से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-23/2024-.....08...../टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसंधिभाजन,



संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-23/2024.....1982

पटना, दिनांक-.....22/.....07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



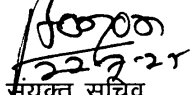
संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग

बिहार पटना।

MM 6

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-23/2024...../११८२..... पटना, दिनांक- २२/०७/2025  
प्रतिलिपि:-आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/जिला कोषागार पदाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, रक्सौल, (पूर्वी चम्पारण)/प्राचार्य,  
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रक्सौल, (पूर्वी चम्पारण)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय  
विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ),  
श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-58/2024.....19.8.3...../

**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन विभाग**  
**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)**  
**नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01**



**प्रेषक,**

संयुक्त सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

**सेवा में,**

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22/07/2025

**विषय:-** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सेमरा बाजार, बगहा (प0 चम्पारण) के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹14,44,412/- (रुपये चौदह लाख चौवालिस हजार चार सौ बारह) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

**महाराय,**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सेमरा बाजार, बगहा (प0 चम्पारण) के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बगहा (प0 चम्पारण), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹14,44,412/- (रुपये चौदह लाख चौवालिस हजार चार सौ बारह) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

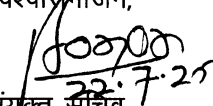
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सेमरा बाजार, बगहा (प0 चम्पारण) होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, प0 चम्पारण से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-58/2024-...08.../टि0 पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

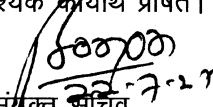
  
22.7.25

संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-58/2024.....19.8.3.....

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
22.7.25  
संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।



ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-58/2024.....1983 पटना, दिनांक- 29 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण /जिला कोषागार पदाधिकारी, प0 चम्पारण/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बगहा, प0 चम्पारण /प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सेमरा बाजार, बगहा (प0 चम्पारण) /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय, वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
22-7-25  
संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-15/2024.....1984...../

**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन विभाग**  
**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)**  
**नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01**



**प्रेषक,**

संयुक्त सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

**सेवा में,**

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-22/07/2025

**विषय:-** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आरा (भोजपुर) के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि 5,02,479/-(रुपये पाँच लाख दो हजार चार सौ उन्नासी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

**महाराज,**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आरा (भोजपुर) के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, आरा, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि 5,02,479/-(रुपये पाँच लाख दो हजार चार सौ उन्नासी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आरा (भोजपुर) होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, भोजपुर से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-15/2024-09/ टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वनाथभाजन,

22-7-25

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-15/2024.....1984.....

पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22-7-25

संयुक्त सचिव

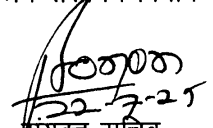
श्रम संसाधन विभाग

बिहार, पटना।

MS

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-15/2024-1984 पटना, दिनांक- 29 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, पटना / जिला पदाधिकारी, भोजपुर / जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, आरा (भोजपुर) / प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आरा (भोजपुर)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-42/2024.....1985...../  
बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)  
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मधेपुरा के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि  
₹9,23,562 /- (रुपये नौ लाख तेइस हजार पाँच सौ बासठ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मधेपुरा के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मधेपुरा, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹9,23,562 /- (रुपये नौ लाख तेइस हजार पाँच सौ बासठ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मधेपुरा होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मधेपुरा से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-42/2024-08/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसभाजन,  
संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-42/2024.....1985.....

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

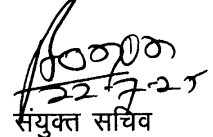
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

M 6

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-42/2024.....1985..... पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, कोसी/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा /  
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मधेपुरा /प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मधेपुरा  
/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी०  
मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ  
प्रेषित।



संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-68/2024-1986/

**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन विभाग**  
**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)**  
**नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01**



**प्रेषक,**

संयुक्त सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

**सेवा में,**

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

**विषय:-** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भेलारी, रोहतास के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹8,95,518/- (रुपये आठ लाख पन्चानवे हजार पांच सौ अठारह) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

**महाराज,**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भेलारी, रोहतास के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सासाराम, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹8,95,518/- (रुपये आठ लाख पन्चानवे हजार पांच सौ अठारह) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भेलारी, रोहतास होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, रोहतास से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-68/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसभाजन,

*[Signature]*  
22.7.25

संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-68/2024-1986

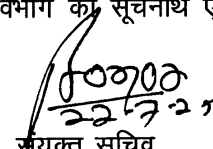
पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*[Signature]*  
22.7.25  
संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

*[Signature]*

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-68/2024.....1986..... पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025  
प्रतिलिपि:-आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, रोहतास /जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास  
/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सासाराम /प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,  
भेलारी, रोहतास /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना  
शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-33/2024.....1987...../

**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन विभाग**  
**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)**  
**नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01**



**प्रेषक,**

संयुक्त सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

**सेवा में,**

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

**विषय:-** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (LWE) मखदुमपुर, जहानाबाद के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹6,48,340/- (रुपये छः लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

**महाराज,**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (LWE) मखदुमपुर, जहानाबाद के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जहानाबाद, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹6,48,340/- (रुपये छः लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

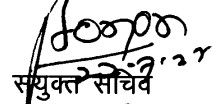
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (LWE) मखदुमपुर, जहानाबाद होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, जहानाबाद से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-33/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसभाजन,

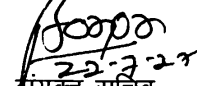
  
संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-33/2024.....1987.....

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

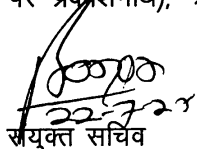
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

M 8

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-33/2024.....1987..... पटना, दिनांक- 22/07/2025  
प्रतिलिपि:-आयुक्त, गया /जिला पदाधिकारी, जहानाबाद /जिला कोषागार पदाधिकारी,  
जहानाबाद / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जहानाबाद/प्राचार्य, औद्योगिक  
प्रशिक्षण संस्थान (LWE) मखदुमपुर, जहानाबाद/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी  
शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम  
संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
आयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-03/2024.....1988...../

**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन विभाग**  
**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)**  
**नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01**



**प्रेषक,**

संयुक्त सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

**सेवा में,**

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

**विषय:-** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (LWE), अरवल के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹7,97,973 /- (रुपये सात लाख सतानवे हजार नौ सौ तिहत्तर) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

**महाशय,**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (LWE), अरवल के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, अरवल, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹7,97,973 /- (रुपये सात लाख सतानवे हजार नौ सौ तिहत्तर) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (LWE), अरवल होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, अरवल से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-03/2024-1988/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसभाजन,

*[Signature]*  
22/7/25

संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-03/2024.....1988.....

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*[Signature]*  
22/7/25

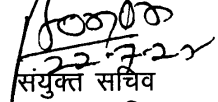
संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

NM 6

ज्ञापांक- टी-3(यो0)/भवन-03/2024.....1988.....

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, गया /जिला पदाधिकारी, अरवल/जिला कोषागार पदाधिकारी, अरवल /  
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, अरवल /प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (LWE),  
अरवल /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/  
आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-51/2024.....1989/

**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन विभाग**  
**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)**  
**नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01**



**प्रेषक,**

संयुक्त सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

**सेवा में,**

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

**विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर (LWE) के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹29,23,497 /- (रुपये उनतीस लाख तेइस हजार चार सौ सत्तानवे) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

**महाशय,**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर (LWE) के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (पश्चिम), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹29,23,497 /- (रुपये उनतीस लाख तेइस हजार चार सौ सत्तानवे) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

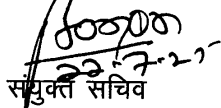
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर (LWE) होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-51/2024-08/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसभाजन,

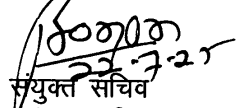
  
संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-51/2024.....1989

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव

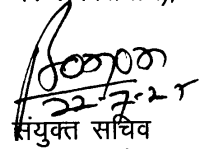
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

NK

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-51/2024.....1989.....

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, मुजफ्फरपुर / जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (पश्चिम)/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर (LWE)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-22/2024-1990/

**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन विभाग**  
**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)**  
**नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01**



**प्रेषक,**

संयुक्त सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

**सेवा में,**

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22/07/2025

**विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पकड़ीदयाल, (पूर्वी चम्पारण) के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹8,99,238/-(रुपये आठ लाख निन्यानवे हजार दो सौ अड़तीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

**महाशय,**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पकड़ीदयाल, (पूर्वी चम्पारण) के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, चकिया, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹8,99,238/-(रुपये आठ लाख निन्यानवे हजार दो सौ अड़तीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

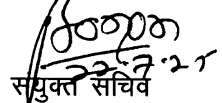
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पकड़ीदयाल, (पूर्वी चम्पारण) होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-22/2024-09/टि0 पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसिभाजन,

  
संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-22/2024-1990

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

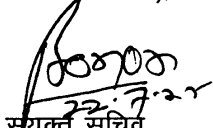
  
संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-22/2024.....1990.....

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, मुजफ्फरपुर / जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण / जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, चकिया / प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पकड़ीदयाल, (पूर्वी चम्पारण) / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / मासिक व्यय विवरणी शाखा / बजट शाखा / योजना शाखा / आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-09/2024-1991/

**बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग**

**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)**

**नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01**



**प्रेषक,**

संयुक्त सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

**सेवा में,**

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- १२ / ०७ / 2025

**विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बखरी, बेगूसराय के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹15,64,552/- (रुपये पन्द्रह लाख चौसठ हजार पाँच सौ बावन) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

**महाराय,**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बखरी, बेगूसराय के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बेगूसराय, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹15,64,552/- (रुपये पन्द्रह लाख चौसठ हजार पाँच सौ बावन) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बखरी, बेगूसराय होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, बेगूसराय से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-09/2024-09/ टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसिभाजन,

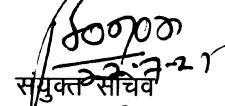
  
संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-09/2024-1991/

पटना, दिनांक- १२ / ०७ / 2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग  
बिहार पटना।

NK 8

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-09/2024.....1991.....

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, मुंगेर / जिला पदाधिकारी, बेगूसराय / जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बेगूसराय/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बखरी, बेगूसराय/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।



सं० सं०— टी-5(यो0)/भवन-65/2024.....1992...../

**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन विभाग**  
**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)**  
**नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01**



**प्रेषक,**

संयुक्त सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

**सेवा में,**

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक— 22 / 07 / 2025

**विषय—** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धमदाहा (पूर्णिमा) के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹ 6,95,280 /— (रुपये छः लाख पंचानवे हजार दो सौ अस्सी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

**महाशय,**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धमदाहा (पूर्णिमा) के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पूर्णिमा (पश्चिम), नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹ 6,95,280 /— (रुपये छः लाख पंचानवे हजार दो सौ अस्सी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230—श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03—प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष —0103—नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड—26—2230031010103 के विषय शीर्ष—0103—13—01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

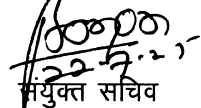
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धमदाहा (पूर्णिमा) होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पूर्णिमा से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या— टी-5(यो0)/भवन-65/2024—09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वप्रसादभाजन,

  
संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— टी-5(यो0)/भवन-65/2024.....1992.....

पटना, दिनांक— 22 / 07 / 2025

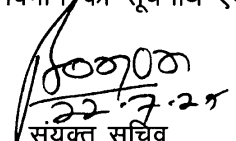
प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-65/2024.....1992.....

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, पूर्णियाँ / जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ / जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पूर्णियाँ / प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धमदाहा (पूर्णियाँ) / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / मासिक व्यय विवरणी शाखा / बजट शाखा / योजना शाखा / आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार, पटना।